झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका सं. 4440/2022

---

1. धनंजय पाठक, पिता- स्वर्गीय रामचन्द्र पाठक, उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी- वार्ड नं.- 21, केनाबांध, अंबिकापुर, डाकघर + थाना- अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ़-497001

2. अजय पाठक, पिता- स्वर्गीय रामचन्द्र पाठक, उम्र- लगभग 51 वर्ष, निवासी- ग्राम जोगा, डाकघर- जोगा, थाना- रेहला, जोगा, जगजामडीहा, जिला- पलामू, झारखण्ड- 822116.

3. योगेन्द्र पाठक, पिता-स्वर्गीय रामचन्द्र पाठक, उम्र- लगभग 54 वर्ष, निवासी- केनाबांध, अंबिकापुर, डाकघर+थाना- अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़-497001

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. उमेश्वर सिंह, पिता- स्वर्गीय सोबरन सिंह, उम्र- 87 वर्ष, निवासी- ग्राम जोंगा, डाकघर- जोंगा, थाना- उटारी रोड, जिला- पलामू , झारखंड मोबाइल नं.9661087898, आधार नं.- 913576995673

... विपक्षीगण

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री शुभाशीष रसिक सोरेन, अधिवक्ता

: सुश्री शोभा ग्लोरिया लकड़ा, अधिवक्ता

: श्री सौरभ पांडे, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: : सुश्री नेहाला शर्मिन, स्पेशल पी.पी.

: श्री फहद अल्लाम, एडिशनल पी.पी.

विपक्षी सं. 2 की ओर से : श्री शिव कुमार सिंह, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायमूर्ति, अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए दायर की गई है, इस प्रार्थना के साथ कि परिवाद संख्यां1424/2021 में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, पलामू द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 341 और 323 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया है और कथित मामला अब पलामू के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में विचाराधीन है।

3. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोग यह है कि याचिकाकर्ताओं ने परिवादी के साथ एक करार किया, उसकी जमीन खरीदी और 6,06,000/- रुपये की अग्रिम राशि का भुगतान किया, लेकिन शेष प्रतिफल राशि का भुगतान नहीं किया और जब परिवादी ने शेष प्रतिफल राशि की मांग की, तो याचिकाकर्ताओं ने परिवादी को गाली दी और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि परिवाद, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर कथन और जांच/अनुसंधान में गवाहों के कथन में लगाये गये अभियोग को पूरी तरह से सत्य मान लिया जाए, फिर भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ न तो भा.द.सं. की धारा 341 के तहत दंडनीय अपराध और न ही धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध का मामला बनता है। अतः यह निवेदित किया जाता है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, पलामू द्वारा परिवाद मामला संख्या 1424/2021 में दिनांक 20.07.2022 को पारित संज्ञान आदेश, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, पलामू के न्यायालय में लंबित है, को अभिखंडित और अपास्त कर दिया जाए।

5. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने ऋजुतापूर्वक प्रस्तुत किया कि यद्यपि कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अंतर्गत दंडनीय अपराध अथवा धारा 323 के अंतर्गत दंडनीय अपराध नहीं बनता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 385 तथा 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराध बनता है और यदि संज्ञान अभिखंडित कर दिया जाता है, तो विद्वान मजिस्ट्रेट को विधि के अनुसार नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाए।

6. न्यायालय में प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात, परिवादी का स्वीकृत मामला यह है कि उसने अग्रिम राशि प्राप्त कर ली थी, किन्तु याचिकाकर्ताओं ने शेष राशि/प्रतिफल का भुगतान नहीं किया तथा 5,00,000/- रुपए की जबरन वसूली की मांग की। यह अभी भी सत्य है कि परिवादी ने याचिकाकर्ताओं के 6,06,000/- रुपए अपने पास रखे हुए है। परिवादी ने संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए कोई वाद दायर नहीं किया है और कोई लिखित क़रार रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का यह सुविचारित राय है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी ने याचिकाकर्ताओं से प्रतिशोध लेने के लिये और सिविल विवाद को आपराधिक रूप देने के लिए यह परिवादी मामला दायर किया है; जैसा कि स्वीकृत रूप से भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनता है, यद्यपि कि परिवाद में लगाए गएअभियोग, सत्यानिष्ठ प्रतिज्ञान पर बयान और गवाहों के बयान को पूरी तरह से सत्य माना जाये।

7. अतः, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध इस आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है, जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, पलामू द्वारा परिवाद मामला संख्या 1424/2021 में दिनांक 20.07.2022 को पारित संज्ञान लेने का आदेश, जो कि अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, पलामू की अदालत में लंबित है, को अभिखंडित और अपास्त कर दिया जाए।

8. तदनुसार, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, पलामू द्वारा परिवाद मामला संख्या 1424/2021 में दिनांक 20.07.2022 को पारित संज्ञान लेने का आदेश, जो कि अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी, पलामू की अदालत में लंबित है, को याचिकाकर्ताओं के विरुध्द अभिखंडित और अपास्त किया जाता है।

9. परिणामस्वरूप, यह अपराधिक विविध याचिका अनुज्ञात की जाती है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्या.)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची
दिनांक 4मार्च, 2024
ए.एफ.आर/अनिमेश

यह अनुवाद शबनम (पैनल अनुवादक) द्वारा किया गया।